

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०-2/टी०-50/2009-1362(2)/स्वा०, डा० पूर्णिमा रतन, चिकित्सा पदाधिकारी, का पटना, दिनांक 13.10.09
विभागीय अधिसूचना संख्या-1089(2) दिनांक 26.06.2008 द्वारा पटना जिला से प० चम्पारण जिले में किये गये स्थानान्तरण को संशोधित करते हुए उन्हें तात्कालिक प्रभाव से बिहार राज्य स्वास्थ्य एवं सम्बद्ध मानसिक संस्थान, कोईलवर (आरा) भोजपुर में पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा० प्रमोद कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 2/टी०50/2009-

1362(2)

पटना, दिनांक 13-10-09

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार/ अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /निदेशक, बिहार राज्य स्वास्थ्य एवं सम्बद्ध मानसिक संस्थान, कोईलवर, (आरा) भोजपुर/ संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संबंधित असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ उप महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री/ माननीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के सचिव, स्वास्थ्य / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ उप सचिव, स्वास्थ्य/ प्रशाखा पदाधिकारी, 2,3,7,9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव